RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

आजादी के बाद बिहार में महिलाओं की स्थिति

डॉ0 अर्चना कुमारी

इतिहास विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

आजादी के बाद महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और न्यायिक स्थिति में भारी परिवर्तन आए हैं। यह अप्रत्याशित नहीं है। माहिलाओं की स्थिति में बेहतरी का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश से ही सामाजिक सुधार आंदोलन के केन्द्र में रहा है, जब राममोहन राय ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना शुरू किया। उन्नीसवीं सदी के तीसरे, और खासकर चौथे दशक में महिलाओं ने सक्रियता से आजादी के आंदोलन में भाग लिया। गाँधी जी ने तीस के दशक के मध्य में महिलाओं और आजादी के लिए बहादुरी से लड़ने वाली योद्धा मृदुला साराभाई से कहा, "मैंने भारतीय महिलाओं को रसोईधर से बाहर लाने का कार्य किया है; अब आपको (महिला कार्यकर्ताओं को) उन्हें वापस लौटने से रोकने का काम करना है।" यह कोई खाली लफ्फजी या विचारहीन आवाहन नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं को राष्ट्रीय भावनाएं रखने वाली राजनीतिक हस्तियाँ माना, जो संघर्ष और बलिदान में पुरूषों से अधिक नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो साबित हुई ही। इस प्रकार, सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के बारे में सैद्धांतिक बहस के कई मसले हल किए जा सकें। यदि महिलाएँ जुलूसों में मार्च कर सकती हैं, कानून का उल्लधंन कर सकती हैं, जेल जा सकती हैं–ओर वह भी बिना परिवार के पुरूषों के संरक्षण के–तो वे नौकरियाँ भी कर सकती हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है, और यदि संभव हो तो पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार का भी। बीस के दशक से महिलाओं द्वारा विशाल जन–संघर्षों में राजनीतिक भागीदारी ने ऐसी संभावनाएं खोल दीं, जो सामाजिक सुधारों को पूरी सदी ने भी नहीं खोली थी। महिला की छवि उन्नीसवीं सदी में न्याय की हकदार से बीसवीं सदी के आरंभ में राष्ट्रवादी पुरूषों की समर्थक, और फिर तीस और चालीस के दशकमें उनकी सहयोगिनी में बदल गई। महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की सभी धाराओं में भाग लिया–गांधीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी आतंकवादी इत्यादि। वे ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन का हिस्सा रहीं। उन्होंने अलग महिला संगठन भी बनाए; इनमें १९२६ में स्थापित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण था।

आजादी के बाद पिछले कठिन संघर्षों के नतीजों को मजबूती प्रदान करने का समय आया। इसलिए स्वाभाविकतया ध्यान कानूनी और वैधानिक अधिकार हासिल करने की ओर गया। संविधान ने महिलाओं को पूर्ण समानता का वादा किया। उसने कई वर्षों पहले राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा किए गए वादे को पूरा किया; महिलाओं को पुरूषों के बराबर, बिना शिक्षा, संपत्ति या आय के भेदभाव के वोट का अधिकार मिला। यह एक ऐसा अधिकार था जिसके लिए पश्चिमी देशों में महिलाओं मताधिकारवादियों ने लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भारतीय महिलाओं ने इसे एक क्षण में ही हासिल कर लिया था।

पचास के दशक के आरंभ में नेहरू ने हिंदू कोड बिल पास करने का प्रक्रिया आरंभ की। इसकी मांग तीस के दशक से ही महिलाएँ करती रही हैं। संवैधानिक विशेषज्ञ बी. एन. राव, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया था, की अध्यक्षता में गठित समिति ने १९४४ में ही इस पर विचार करके कोड का मसविदा तैयार कर लिया था। एक और समिति बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी। वे आजादी के बाद कानून मंत्री बने थे। उन्होंने एक बिल पेश किया जिसमें शादी और उसके लिए सहमति की उम्र बढ़ाई गई, पुरूषवाद का समर्थन किया गया, महिलाओं को तलाक, खर्चे की रकम और उत्तराधिकार के अधिकार दिए गए, और दहेज को स्त्रीधन या महिलाओं की संपत्ति माना गया। बिन को कांग्रेसजनों के बहुमत और महिला कार्यकर्ताओं एवं समाज सुधारकों की ओर से मजबूत समर्थन मिला। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद प्रसाद समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की हिचकिचाहट एवं समाज के पुरातनपंथियों से तगड़े विरोध के कारण बिल को मुल्तवी कर दिया गया। आगे चलकर बिल के विभिन्न हिस्सों को अलग–अलग एक्टों के रूप में पास किया गयाः हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक एक्ट, और गोद लेने तथा खर्चा देने संबंधी कानून।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

हिंदू महिलाओं को कानूनी अधिकारों के दायरे में लाना पर्याप्त तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा कदम अवश्य था। यह सरकार द्वारा अन्य धार्मिक समुदायों तक कानूनी अधिकार पहुँचाने की कोशिशों के तीखे विरोध से स्पष्ट हो जाता है। शाहबानों केस एक अच्छा उदाहरण है। हिंदू कानून में सुधार के चालीस वर्षों बाद १९८५ में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक-शुदा मुसलिम शाहबानों को खर्चे के लिए एक छोटी-सी रकम की इजाजत दी। इसी पर मुसलिम पुरातनपंथियों में हंगामा मच गया। राजीव गाँधी सरकार पर इतना दबाव डाला गया कि उसे झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के निषेध के लिए एक बिन लाना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को अपनी कायरता के लिए डांट पिलाना आसान और जरूरी भी है; लेकिन यह याद रहे कि जहाँ विरोध पक्ष ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा, वही शाहबानो के समर्थक मात्र कुछ सौ ही लोगों को इकट्ठा कर पाए। हिंदुओं के लिए अधिक मूलगामी सिविल कोट नहीं लाने और सारे नागरिकों के लिए समान सिविल कोड नहीं बनाने के लिए नेहरू की आलोचना की जा सकती है, लेकिन यह याद रखा जाना चाहिए कि जहाँ उन्हें विरोध का सामना अवश्य करना पड़ा, वहीं उन्हें काफी समर्थन भी मिला। इसका कारण यह कि मुसलमानों के बजाए हिंदुओं में सुधार की प्रक्रिया कहीं आगे निकल गई थी। इसका सबूत तीस साल बाद हुए शाहबानो मुकदमे से मिलता है।

कुछ कानूनी अधिकारों का प्रयोग किया गया है, और साथ ही अन्य कुछ सिर्फ कागजी ही बनकर रह गए हैं। वोट का अधिकार बड़ी गंभीरता से लिया गया है। महिलाएँ बड़ी उत्साही वोटर होती हैं जो वोट की ताकत के प्रति बड़ी सजग है। यह बात ग्रामीण महिलाओं पर खासतौर पर लागू होती है। लेकिन दूसरे कानूनी अधिकारों, खासकर पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे अधिकरों पर दावा नहीं किया जाता। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में शहरी और ग्रामीण दोनों ही महिलाएं पैतृक संपत्ति संबंधी अपने अधिकार छोड़ देती हैं। इसका मुख्य कारण पति के घर (ससुराल) में रहने की प्रथा है। और यह भी एक कारण कि क्यों महिलाएँ दहेज नहीं छोड़ती : क्योंकि पैतृक संपत्ति में कुछ हिस्सेदारी का यही एकमात्र रास्ता बच जाता है। शहरी इलाकों में तलाक के अधिकार का प्रयोग अधिकाधिक किया जा रहा है, हालाँकि इसे अभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अकेली महिला के लिए जीवन चलाना अभी भी कठिन है।

आजादी के बाद बिहार की महिलाओं ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में भाग लेना शुरू किया और उनमें अपने लिए खास स्थान बनाया है। परंतु समकालीन इतिहासकारों ने उनकी भूमिका को प्रयः नजरअंदाज ही किया है। कुछ अध्ययन इस विषय में दृष्टिगोचर होते हैं किंतु वे सामान्यतः उन अभिजात वर्गीय महिलाओं से संबंधित है जो या तो स्वयं अभिजात वर्गीय परिवारों से संबंधित थी या उन परिवारों से उनके निकट संबंध थे। जनसाधारण वर्ग की महिलाओं ने विभिन्न सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए, घर की दहलीज को लांघते हुए न केवल अपना विकास किया अपितु राज्य के समग्र विकास में योगदान दिया। इसका समुचित अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया गया है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य न केवल अभिजात वर्गीय महिलाओं के कार्यों का प्रस्तुतीकरण है अपितु समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग की महिलाएँ, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण काग्र कर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को गौरवान्वित किया है, का समुचित विश्लेषण करना है। इसके साथ आजादी के बाद बिहार की महिलाओं की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में कितना बदलाव आया है और उनके विकास में क्या-क्या बाधाएँ आ रही है कि भी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

आजादी के प्रारंभिक वर्षों में राजनीति में सक्रिय बिहार की महिलाएँ अधिकांशतः उच्च शिक्षित, अभिजात वर्ग से संबंधित थी। वे किसी न किसी रूप में महात्मा गाँधी, विनोवा भावे एवं जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रभावित थी। इन महिलाओं का सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव रहा था। ये हरिजनों व आदिवासियों के उत्थान से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी संलग्न रही थीं। इन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के लिए संगठन भी बनाए। आजादी के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद् का गठन हुआ। बिहार से दो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। एक जहाँआरा जयपाल सिंह एवं दूसरी तारकेश्वरी सिन्हा थी। उन्हें भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाया गया। १९६६ ई. में राज्यसभा के लिए चुनी गयी थी। तारकेश्वरी सिन्हा को भारत की पहली महिला उपवित्त मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. डॉ. विजय कुमार : बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका, पृ. ३६ : २०१२ पटना।

२. बिहार की महिलाएँ, पृ. ३४६।
३. मिश्र भरत, स्वातंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं का योगदान,, पृ. ५।
४. बनवारी लाल, चूड़ियों की जगह तलवारे उठा ली, आज, २ नवंबर ९७, पृ. ३।
५. सिंह कुमारी शीला, महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिहारी महिलाओं का योगदान, पृ. १९८।
६. अमरेन्द्र कुमार, स्वाधीनता संग्राम में बिहार की महिलाएँ, हिन्दुस्तान, पृ. १७।
७. दत्त, के. के., बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, खंड-३, पृ. ३३।

RRIJM 2015, All Rights Reserved